


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 225/2021

उनवानी :- बुद्धिलाल नाहरवाल व अन्य बनाम ओमप्रकाश व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
12.01.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। बार – बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी सायलान एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इसलिए मुकदमा नं. 225/2021 उनवानी बुद्धिलाल नाहरवाल व अन्य बनाम ओमप्रकाश व अन्य प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली) </p>